



जोधपुर

विद्युत वितरण

निगम लि०

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651337 (का) 2651389(नि) फेक्स नं० 2741870

जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) फेक्स नं. 2740121

क्रमांक:- प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-वाणिज्य/पत्रा० /प्रे०सं० 1485 जोधपुर, दिनांक:- 01/12/05

आदेश

विषय: विशेष श्रेणी, हरा चारा विशेष श्रेणी, नर्सरी श्रेणी व ग्रामीण क्षेत्र के फार्म हाऊस के कृषि कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तन करने के बारे में ।

समन्वय समिति की दिनांक 28 व 29 नवम्बर, 2005 को आयोजित 88वीं बैठक में विभिन्न पंचायत समितियों में विशेष श्रेणी, हरा चारा विशेष श्रेणी एवं नर्सरी श्रेणी के कृषि कनेक्शनों को साधारण श्रेणी में परिवर्तित करने में लगने वाले विभिन्न समय में एकरूपता लाने के लिए एवं कृषि उपभोक्ताओं की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि :-

विशेष श्रेणी, हरा चारा विशेष श्रेणी, नर्सरी श्रेणी एवं ग्रामीण क्षेत्र के फार्म हाऊस (जिन्हें 24 घंटे विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है) के कृषि कनेक्शनों को जिन्हें कनेक्शन जारी किये हुये दो वर्ष से अधिक अवधि हो गई है उन्हें दिनांक 19.11.2005 से सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायें । जिन कनेक्शनों को दिनांक 19.11.2005 तक जारी किये हुये दो वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है एवं 19.11.2005 के बाद ऐसे जारी कनेक्शनों को जब भी दो वर्ष की अवधि पूर्ण करें, सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायें । तदानुसार परिवर्तन की दिनांक से उन पर सामान्य श्रेणी की विद्युत दर लगाना प्रारम्भ कर दिया जावें ।

यह सुविधा उन्हीं कृषकों को देय होगी जिनके पूर्व में कोई राशि/बिल की राशि बकाया नहीं है । समस्त सहायक अभियन्ता उन कृषकों को जिनकी कोई बकाया राशि है उन्हें नोटिस देकर राशि जमा कराने के लिये सूचित करेंगे तथा राशि जमा करवाने की दिनांक से उन्हें सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जावें ।

यह आदेश पूर्व में इस सम्बन्ध में जारी आदेशों को निरस्त करते हुये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

Shiraguly
(एस०के०बि०सी०)

प्रबन्ध निदेशक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ❖ ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- ❖ आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर ।
- ❖ मुख्य अभियन्ता(जोधपुर जोन),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर ।
- ❖ वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ उप मुख्य अभियन्ता(एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ सम्भागीय मुख्य अभियन्ता(बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, बीकानेर ।
- ❖ मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न-की/पीपीएम/एम.एण्ड पी/बी.एफ.एल.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर ।
- ❖ निजी सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री के अवलोकनार्थ ।
- ❖ निजी सचिव, सलाहकार(एम), राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार(एम) के अवलोकनार्थ ।
- ❖ प्रावे.सहा.अध्यक्ष, डिस्कॉम, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ हेतु ।
- ❖ सहायक अधिकारी, Ombudsman-Commissioner, Collectorate, जोधपुर ।
- ❖ अति.पुलिस अधीक्षक(सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर(आपके अधिकारियों को भेजने हेतु अतिरिक्त प्रतियां संलग्न)
- ❖ प्रावे.सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ
- ❖ वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एवं रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/ हनुमानगढ़ ।
- ❖ कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ अधिशाषी अभियन्ता(), जोधपुर डिस्कॉम,.....
- ❖ प्रावे.सहा. मुख्य अभियन्ता(सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
- ❖ सहायक अभियन्ता(), जोधपुर डिस्कॉम,..... (आप के अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियन्ताओं की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न हैं) ।
- ❖ माननीय श्री..... (सांसद/विधायक/जिला प्रमुख),..... ।

Shiraguly
प्रबन्ध निदेशक

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर